

GE T&D India Limited

L31102DL1957PLC193993

T-5 & T-6, Plot I-14, Axis House, Jaypee Wishtown, sector-128, Noida-201304, Uttar Pradesh

T +91 120 5021500 F +91 120 5021501

https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

May 19, 2021

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street MUMBAI 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

AI 400 001 MUMBAI 400 051

Code No. 522275 Symbol: GET&D

Dear Sir,

Sub: Newspaper publication & copy of notice to shareholders for transfer of shares to IEPF

Please find enclosed copies of the following documents in respect of transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended:

- 1. Specimen of notice sent to the relevant shareholders; and
- 2. Notice published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on May 19, 2021

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For GE T&D India Limited

Manoj Prasad Singh Company Secretary

Encl: As above

C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED

P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019

Telephone: 033-2280-6692/93/94, 4011-6700/11/16/18/23/28 Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: rta@cbmsl.com, Website: www.cbmsl.com

CIN: U74140WB1994PTC062959

NOTICE

(For immediate attention of the Members)

REGISTERED POST

ENV_NO: Date: 13/05/2021

Unit: GE T&D INDIA Limited

DP ID & Client ID / Folio No.:

No. of shares of face value Rs. 2/- each:

Dear Member,

Sub: Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We would like to bring your kind attention to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), which inter-alia provides that all shares in respect of which dividend(s) has/have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government.

Please note that your dividend for the financial year ended 31.03.2014 with respect to the shares held by you (as mentioned above) is due for transfer to IEPF on 28.08.2021 upon completion of seven (7) years in terms of sub-section (5) of Section 124 of the Act. Accordingly, the due date for transfer of the underlying shares held by you to the DEMAT account of IEPF Authority is 28.08.2021 and the Company shall transfer the said shares within 30 days thereof by following the procedures prescribed under the Rules. Also, all subsequent dividend i.e. dividends for the Financial Year ended 31.03.2015 onwards have remained unclaimed till date

If in case you wish to prevent your shareholding of the captioned Company from being transferred to the IEPF Authority, you are requested to encash your unclaimed dividend not later than 31st July,2021 in terms of the following procedure:

Claim unclaimed/ unpaid dividend for the financial year ended 31.03.2014 and onwards by forwarding the following to the Company's Registrars and Share Transfer Agents, C B Management Services (P) Ltd., Unit- GE T&D India Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019, Tel No. 033-4011-6700/2280 6692/2282 3643/2287 0263, Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: rta@cbmsl.com.

C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED

P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019 Telephone: 033-2280-6692/93/94, 4011-6700/11/16/18/23/28

Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: rta@cbmsl.com, Website: www.cbmsl.com,

CIN: U74140WB1994PTC062959

The requisite documents to be submitted are:

a. ID Proof (a self-attested copy of your PAN Card)

- b. Address Proof (self-attested copy of your Aadhar Card/ Passport/ Utility Bill [not more than 3 months old]
- c. Unsigned and cancelled cheque leaf of the bank where you are maintaining your active core banking account so that we can transfer all subsequent dividends directly into your bank account.

Please also attach the photocopy of your share certificate (both side) and quote you Folio no. as provided above in all your documents/ communication.

Further please note that in terms of Section 124(6) of the Act and Rule 7 of the IEPF Rules, once the above captioned shares are transferred to the Authority, you may claim the said shares by making an online application in Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for re-claiming the shares, which is available on the website of the Ministry at www.iepf.gov.in.

With a view to complying with the requirements as set out in the aforesaid Rules, we shall initiate necessary action for transfer of the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority.

Please note, we are required to issue new share certificates for transfer of the shares to the said DEMAT Account as per the Rules and upon issue of new duplicate share certificate(s), the original share certificate(s), which stand registered in your name would stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Thereupon, no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the said DEMAT Account pursuant to the said Rules.

Yours faithfully,
For C B Management Services (P) Ltd

Sd/-

Registrars

FINANCIAL EXPRESS

JUDGMENT IN BANKS' FAVOUR

Mallya loses bankruptcy plea amendment battle in UK

ADITI KHANNA London, May 18

A CONSORTIUM OF Indian banks led by State Bank of India (SBI) on Tuesday moved a step closer in their attempt to recover debt from loans paid out to Vijay Mallya's nowdefunct Kingfisher Airlines after the high court in London upheld an application to amend their bankruptcy petition, in favour of waiving their security over the embattled businessman's assets in India.

Michael Briggs handed down his judgment in favour of the banks to declare there is no public policy that prevents a waiver of security rights, as argued by Mallya's lawyers.

At a virtual hearing, July 26 was set as the date for final arguments for and against granting a bankruptcy order against the 65-year-old Mallya after the banks accused him of trying to "kick matters into the long grass" and called on the "bankruptcy petition to be brought to its inevitable end".

"I order that permission be given to amend the petition to read as follows: 'The Petitioners (banks) having the right to enforce any security held are willing, in the event of a bankruptcy order being made, to give up any such security for the benefit of all the bankrupt's creditors," Justice Briggs' judgment reads.

"There is nothing in the statutory provisions that prevent the Petitioners from giving up security," he notes.

Mallya's barrister, Philip Marshall, had referenced witness statements of retired Indian judges in previous hearings to reiterate that there is "public interest under Indian law"by virtue of the banks being nationalised.

However, Justice Briggs found no impediment to the creditors relinquishing their security under Indian law



because of the engagement of a "principle concerning public interest" and favoured the submissions made by retired Indian Supreme Court judge Gopala Gowda at a hearing in Decem-

"In my judgment the simple stance taken by Justice Gowda that Section 47 PIA 1920 is evidence of the ability of a secured creditor to relinquish the creditor's security is to be preferred,"

ful"party in the case.

motivated".

Mallya remains on bail in the UK while a "confidential" legal matter, believed to be related to an asylum application, is resolved in connection with the unrelated extradition

Meanwhile, the SBI-led consortium of 13 Indian banks,

Nirav Modi staffer's bail plea on Covid-19

Bank (PNB) scam.

Patil, a senior executive of Firestar Internaspread of Covid in jails, with his lawyer informing court that Patil had con-

tracted the infection.

debt which stands at over GBP 1 billion.

Mallya's legal team contends that the debt remains disputed and that the ongoing proceedings in India inhibit a bankruptcy order being made in the UK. "The pandemic is having a much more severe impact in India than here, which has slowed things up. Dr Mallya would like things to be faster," said his barrister Philip Marshall.

APSEZ gets CCI nod for 25% more stake buy in Krishnapatnam port

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 18

THE COMPETITION COM-MISSION of India (CCI) on Tuesday gave nod to proposed acquisition of additional 25% stake of Adani Krishnapatnam Port by Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ).

The acquirer already holds 75% shareholding in Adani Krishnapatnam Port.

"As a result of the proposed combination acquirer will

The acquirer already holds 75% shareholding in Adani Krishnapatnam Port

hold 100% shareholding and sole control of the Target," according to a release.

The Commission approves proposed acquisition of additional 25% shareholding of Adani Krishnapatnam Port by Adani Ports and Special Economic Zone, CCI said in a

In April, Adani Ports and Special Economic Zone had said it had acquired 25% stake of Vishwa Samudra in Krishnapatnam Port for ₹2,800

Krishnapatnam located on the east coast of India in Nellore district of Andhra Pradesh, is an allweather, deep water port has multi-cargo facility with a current capacity of 64 million tonne per annum.

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L65993PN2009PLC134196

Registered Office: Mundhwa, Pune - 411 036 Tel: 91 20 66215000, Fax: 91 20 26821124

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Million)

		Standalone				Consolidated					
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
Sr No		March 31, 2021 Unaudited	Dec. 31, 2020 Unaudited	March 31, 2020 Unaudited	March 31, 2021 Audited	March 31, 2020 Audited	March 31, 2021 Unaudited	Dec. 31, 2020 Unaudited	March 31, 2020 Unaudited	March 31, 2021 Audited	March 31, 2020 Audited
Ļ	Total Income from enerations			l I							
1	Total Income from operations Profit for the period (before share of net	58.29	19.79	190.78	126.04	483.32	19.62	19.79	152.11	79.64	421.45
_	profits of associate, Exceptional items, tax)	45.12	12.73	162.04	92.92	429.89	6.45	12.73	123.37	46.52	368.02
3	Profit for the period before tax (after Exceptional items)	45.12	12.73	162.04	92.92	429.89	166.14	139.04	200.11	464.08	632.79
4	Profit for the period after tax	20.00	11.00		77.05	400 17	100.40	100.50	47.44	0.45.05	400.00
5	(after Exceptional items) Total Comprehensive Income after tax (comprising Profit for the period (after tax) and	36.08	11.39	158.03	77.95	426.17	123.43	102.56	47.41	345.85	480.38
	Other Comprehensive Income (after tax))	6,559.06	5,238.54	(16,649.86)	25,927.88	(17,478.46)	6,642.99	5,329.77	(16,761.01)	26,192.52	(17,424.66)
6	Equity Share Capital	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65
7	Other Equity				44,893.63	18,965.75				46,233.44	20,040.92
8	Earnings Per Share : (of ₹ 10/- each) Basic and diluted (not annualised)	8.27	2.61	36.20	17.86	97.63	28.28	23.50	10.86	79.23	110.05
Na	Note:										

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of Quarterly / Yearly Financial results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.kalyani-investment.com

For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

Amit B. Kalyani Chairman

torrent-PHARMA

CIN: L24230GJ1972PLC002126 Website: www.torrentpharma.com Email: investorservices@torrentpharma.com Fax: + 91 79 26582100

Date: May 18, 2021

Place: Pune

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED

Registered Office: Torrent House, Off Ashram Road, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India. Ph.: + 91 79 26599000

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31-Mar-2021

[₹ in crores except per share data]

n	Quarter Ended 31-Mar-2021	Year Ended 31-Mar-2021	Quarter Ended 31-Mar-2020 Audited (Refer Note 2)	
Particulars	Audited (Refer Note 2)	Audited		
Total Income from operations (net)	1937	8005	1946	
Net Profit / (Loss) for the period before tax and exceptional items	383	1526	293	
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional items	383	1526	293	
Net Profit / (Loss) for the period after tax and exceptional items	324	1252	314	
Total Comprehensive Income (after tax)	347	1352	208	
Equity Share Capital	84.62	84.62	84.62	
Other Equity excluding Revaluation Reserve*		5753		
Earnings per share (of ₹ 5/- each)				
Basic	19.16	73.98	18.56	
Diluted	19.16	73.98	18.56	

1 Summary details of stand-alone audited financial results of Torrent Pharmaceuticals Limited: [₹ in crores]

Particulars	Quarter Ended 31-Mar-2021	Year Ended 31-Mar-2021	Quarter Ended 31-Mar-2020
Net income from operations	1468	6451	1491
Profit before tax	301	1366	195
Profit after tax	279	1138	168
Total Comprehensive Income (after tax)	302	1248	107

2 The figures for the quarter ended 31-Mar-2021 and 31-Mar-2020 is the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and for the period upto the end of the third quarter of relevant financial year, which were subject to limited review.

3 The Board of Directors in their meeting held on 18-May-2021, recommended a final equity dividend of Rs. 15/- per equity share.

4 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31-Mar-2021 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same, along with the notes, are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.torrentpharma.com.

Place: Ahmedabad, Gujarat Date: 18-May-2021

GE T&D India Limited (CIN: L31102DL1957PLC193993)

Registered Office: A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II,

New Delhi-110020 | Ph.: 011-4161 0660 Website: https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited.

> NOTICE TO SHAREHOLDERS (Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of GE T&D India Limited ("the

Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (hereinafter called 'the Rules'), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more, by any shareholder(s) shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") The unpaid / unclaimed dividends have been transferred from time to time as per the applicable provisions of the Companies Act, 1956 and / or Companies Act, 2013

Company")that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor

(hereinafter referred to as the Act) to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Next due date for such transfer would be August 28,2021 with regards to the Final dividend paid for the financial year ended March 31, 2014 The full details of such shareholders including their names, folio number or DP ID-Client

ID and the number of share(s) due for transfer are also available on the website https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/unclaimed-dividend. Shareholder(s) are requested to verify the details of their share(s) liable to be transferred

Notice is further given to all such shareholder(s) to forward the following requisite documentsfor claiming the unpaid dividend for the year ended March 31, 2014 and

ID Proof (a self-attested copy of your PAN Card) Address Proof (self-attested copy of your Aadhar Card/ Passport/Utility Bill [not more

onwards so that the shares are not transferred to IEPF:

Unsigned and cancelled cheque leaf of the bank where you are maintaining your active core banking account so that we can transfer all subsequent dividends directly

to the Registrars & Share Transfer Agent C B Management Services (P) Ltd., Unit- GE T&D India Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019, Tel No. 033-40116700/ 22806692/ 22823643/ 22870263, Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: rta@cbmsl.com

latest by July 31, 2021 This Notice has already been communicated to all such shareholders on the latest available address/ email IDs on May 13, 2021 as may be applicable whose shares are liable to be

transferred to IEPF under the Rules, requesting them to take needful action at the earliest. Due to the ongoing COVID-19 pandemic, Shareholders can send the scan copies of the above-mentioned documents to the E-mail address of CB Management Services (P) Ltd

as mentioned above. Hard copies can be sent after Postal Service are restored to normal. In the event, no communication is received from such Shareholders, the Company will be constrained to transfer the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority in terms of the said rules. The concerned shareholder(s), holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred may note that the Company would be issuing new share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority DEMAT Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed

Shareholder(s) may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new Share Certificate(s) by the Company for transfer of physical shares to the IEPF Authority.

Shareholder(s)can claim back from the IEPF Authority the share(s) so transferred as well as unclaimed dividends and corporate benefits accruing on such shares, if any, by following the process prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the

In case shareholder(s) have any query on the subject matter and the Rules, they may contact Company's Registrars & Share Transfer Agent, C B Management Services (P) Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019 [Phone: (033) 2280-6692/ 93/ 94/ 4011-6700/42/24, Fax (033) 4011-6739; E-mail: rta@cbmsl.com

For GE T&D India Limited

Place: New Delhi Date: May 18, 2021

Place: Delhi

New Delhi

Date: 18 May, 2021

Manoj Prasad Singh Company Secretary

Daimler opens virtual centre to reduce time and cost for CV testing

FE BUREAU Chennai, May 18

CIAL Vehicles (DICV), a whollyowned subsidiary of Daimler Truck AG, Germany, on Tuesdayannounced the opening of a virtual reality centre (VRC), claiming that it would significantly reduce time and cost for commercial vehicle (CV) testing and development. The VRC, which allows

DAIMLER INDIA COMMER-

operators to virtually perform serviceability and accessibility checks using a digital model accessed via 3D goggles and navigational joysticks, has the potential to transform both R&D and vehicle servicing procedures, as it reduces the need for custom-built tools, prototype vehicles, and service bays.

The VRC houses a 3D Barco projector, a power wall, advanced real-time tracking cameras, 3D head movement tracker goggles, and virtual reality software capable of seamlessly interacting with the vehicle design via navigational joysticks.

Satyakam Arya, MD & CEO, of DICV, said: "The VRC has the potential to make CV servicing and R&D considerably faster, more comprehensive, and more cost-effective. We are excited to pass these



benefits on to our customers in the form of affordable, high-tech, high-quality products and services."

Another benefit of using virtual reality is the opportunities it offers for remote collaboration. Without the need for a physical model and workspace, DICV is able to share the digital models with Daimler Truck colleagues around the world.

The teams can access the same model simultaneously to exchange opinions and advice in real-time, even if they are oceans away from each other. In today's world of travel restrictions and social distancing guidelines, these benefits are incalculable.

DICV's manufacturing plant at Oragadam near Chennai spreads over 400 acres, including a modern test track, and is home to the company's headquarters, R&D, and training operations. It also manufactures for Daimler Trucks' brands of FUSO, Mercedes-Benz, and Freightliner.





(₹ in crore except per share data) Standalone Consolidated Sr. For the quarter ended For the year ended For the quarter ended For the year ended No. Particulars (refer note no 5) (refer note no 5) 31 March 2020 2021 2020 2020 2021 2020 2021 2021 Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited 2,758.47 2,030.32 8,399.70 8,339.69 3,102.77 2,246.07 9,400.29 9,379.00 Total income from operations EBITDA* 364.07 173.72 1,002.57 861.77 405.55 182.43 1,127.04 935.17 281.74 56.76 596.23 382.85 315.99 87.33 692.94 450.68 Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extra ordinary items) 298.21 51.39 Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 636.30 401.56 432.40 68.07 880.08 496.69 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 225.93 93.79 320.33 349.95 105.28 693.78 392.87 477.78 Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) 227.48 93.75 478.76 319.54 352.20 118.41 406.56 700.21 Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- each) 47.19 47.19 47.19 47.19 47.19 47.19 47.19 47.19 2,267.82 1,789.06 2,924.03 2,223.82 Other equity Earning per share (EPS) (face value of ₹ 2/- each) 13.58 4.46 29.40 16.65 9.58 3.97 20.25 14.83 a) - Basic 13.58 b) - Diluted 9.58 3.97 20.25 14.83 4.46 29.40 16.65 (EPS for the guarter not annualised)

*EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income

 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the company's website: (www.jshlstainless.com) and on the websites of Bornbay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com)

2 The financial results of the company for the quarter and year ended 31 March 2021, which have been extracted from the financial statements audited by the statutory auditors, have been reviewed by the

audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on 18 May 2021. The statutory auditors have expressed unmodified audit opinion. 3 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

4 On 29 December 2020, the Board of Directors of the Company had approved a Composite Scheme of Arrangement (the 'Scheme') under Section 230 to 232 (read with Section 66 and other applicable provisions) of Companies Act, 2013 amongst the Company, Jindal Stainless Limited, JSL Lifestyle Limited, Jindal Lifestyle Limited, JSL Media Limited and Jindal Stainless Corporate Management Services Private Limited. The Scheme having appointed date of 01 April 2020 is subject to the approval of shareholders, regulatory and other necessary approvals including approval of National Company

Law Tribunal (NCLT) which is currently awaited. 5 The figures for the quarters ended 31 March 2021 and 31 March 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial years and unaudited year to date figures upto 31 December 2020 and 31 December 2019 respectively. Previous period/ year figures have been regrouped/ reclassified/recast, wherever necessary, to make them comparable.

JINDAL STAINLESS (CIN: L27205HR2013PLC049963)

By Order of the Board of Directors

For Jindal Stainless (Hisar) Limited

Jagmohan Sood

Whole Time Director

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) Tel: (01662) 222471-83 | Fax: (01662) 220499 Email Id. for Investors: investorcare.jshl@jindalstainless.com

Website: www.jshlstainless.com

financialexp.epap.in

Chief Insolvencies and Comber 2020 on the matter. panies Court (ICC) Judge

the ruling notes.

The Indian banks, represented by the law firm TLT LLP and barrister Marcia Shekerdemian, were also granted costs in totality for the petition hearings, as the "overall success-

"Dr Mallya should have been extradited by now. He was refused permission to go to the Supreme Court in May last year," Shekerdemian pointed out, in reference to one of Mallya's defence planks that the cases against him are "politically

proceedings.

which also includes Bank of Baroda, Corporation bank, Federal Bank, IDBI Bank, Indian Overseas Bank, Jammu & Kashmir Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, State Bank of Mysore, UCO Bank, United Bank of India and JM Financial Asset Reconstruction Co as well as an additional creditor, have been pursuing a bankruptcy order in

rejected A SPECIAL CBI court in

Mumbai rejected the interim bail plea of Arjun Patil, a senior executive of fugitive diamond merchant Nirav Modi's firm, who was arrested in connection with the multicrore Punjab National

tional, a firm belonging to Nirav Modi, was arrested in February, 2018 by the CBI for his alleged role in the preparation of applications for fraudulent Letters of Undertaking (LoUs) that were submitted to PNB. Patil's bail was rejected on Monday, but the detailed order was made available on Tuesday. He had sought interim bail citing recommendations of a high-power committee to release some prisoners to prevent the

the UK in relation to a judgment

—PTI

नई दिल्ली, 18 मई (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपनी जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निचली अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा कि कानून को उसका काम करने दीजिए। न्यायमुर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते समय निचली अदालतत द्वारा की गई टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अदातलों द्वारा की गई टिप्पणियों और मीडिया संगठनों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय पहले ही कानूनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है।

उच्च न्यायालय ने कालरा को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद निष्फल हो गई है।

दस-बारह दिन में बच्चों पर शुरू हो जाएगा कोवैक्सीन का परीक्षण

सरकार ने

कि

मंगलवार को

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 18 मई।

भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके का दो से 18 साल तक के बच्चों को लगाने के लिए परीक्षण को मंजूरी दे दी है।

कोरोना रोधी कोवैक्सीन टीके दस-बारह दिनों में बच्चों पर परीक्षण जाएगा । 13 मई को भारत के शीर्ष दवा नियामक

ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके का दो से 18 साल तक के बच्चों को लगाने के लिए दूसरे/तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर

मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने बताया कि दस-बारह दिन में बच्चों पर कोवैक्सीन टीके का परीक्षण शुरू हो जाएगा। यह परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किया जाएगा।

विषय विशेषज्ञता समिति (एसईसी) ने 11 मई को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की। इससे पहले 24 फरवरी को एसईसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और कंपनी को संशोधित नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल देने को कहा गया। स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक ने किया है। अभी 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को यह टीका लगाया जा रहा है।

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : L20211CH1991PLC011732 मार्ग. चंडीगढ-160019

दूरभाष : 0172-5021555, 5021666, ई-मेल : cs@stylam.com वेब : htpps//www.stylam.com सुचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29(1) (1) के अनुपालन में एतद्वारा सुचित किया जाता है कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निर्देशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 27 मई, 2021 को निर्धारित की गई है जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

विचार किए जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.stylam.cor तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseir dia.com पर भी उपलब्ध है

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लि हस्ता.

स्थानः चंडीगढ़ तिथिः 18.05.2021 प्रबन्ध निदेशक

फार्म नं. INC-26 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम-३० के अनुसार)

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा

(4) और कंपनी (निगमन) नियम. 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के क्लॉज (ए) के मामले में और

मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1989PTC036938) पंजीकत कार्यालय शॉप नं. 4/36, डीडीए मार्केट, दक्षिण पुरी एक्सटेंशन नई दिल्ली-110062 के मामले में।आवेदक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने दिनांक 13 मई, 2021 की आसाधरण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत अधिकार प्राप्त क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' स्थानांतरित करने में

सक्षम बनाना है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यर्क्ति का हित प्रभावित होता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भर कर जमा कर सकते है या किसी के द्वारा या पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र. पता "बी 2 विंग. तल 2. पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003" पर भेज

सकते है। शिकायत फॉर्म के साथ आपत्तियां दर्ज करते हुए एक शपथपत्र देना होगा और शिकायत पत्र की एक कॉपी आवेदक कंपनी के ऊपर दिए पंजीकृत पते पर भेजनी होगी। उनके लिए और उनकी तरफ से मिरटी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 19.05.2021 तरून सिंघल (निदेशक)

DIN: 03418308

टायर व पेट्रोल से शव की अंत्येष्टि, पांच पुलिसकर्मी निलंबित

बलिया (उप्र), 18 मई (भाषा)।

जिले के फेफना थाना क्षेत्र के माल्देपुर ग्राम में गंगा नदी के तट पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में टायर व पेट्रोल का सहारा लेकर नदी से मिले एक शव का अंतिम संस्कार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संवेदनहीनता बरतने के आरोपी पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था, जिसमें पुलिस कर्मी एक शव का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने अंतिम संस्कार में संवेदनहीनता बरती है, इस मामले में दोषी पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव इस मामले की पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे।

पुलिस विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फेफना थाना के पांच पुलिस कर्मियों जय सिंह, उमेश प्रजापति , वीरेंद्र यादव, पुनीत पाल व जय सिंह चौहान को निलंबित किया गया है।

फेफना थाना के प्रभारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि फेफना थाना क्षेत्र के माल्देपर ग्राम में गंगा नदी से मिले एक शव का गत 15 मई को अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार करते समय शव पर टायर रख पेट्रोल डाल दिया गया था। सोशल मीडिया पर सोमवार को आए वीडियो में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में टायर व पेट्रोल का सहारा लेकर शव का अंतिम संस्कार किया जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति शव पर टायर रखते व बोतल से कुछ शव पर डालते हुए दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा

जयपुर, 18 मई (भाषा)

राजस्थान में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधायक के कार्यालय 'चौधरी अनुसार,

विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका त्यागपत्र आज विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया।' चौधरी बाड़मेर की गढामलानी विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस्तीफे के संबंध में

200 सीटों वाली राज्य विधानसभा में चौधरी सहित कांग्रेस के 106 विधायक हैं।

छठी बार के विधानसभा सदस्य चौधरी राज्य में सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं।

फिलहाल विधायक की प्रतिक्रिया

CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 ("SEBI CIRCULAR") FOR THE IMMEDIATE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

AMARAVATI AGRO LIMITED

(Formerly known as "Amaravati Chemicals Ltd") ("Amaravati"/ "The Company")

Registered Office: 'LE BOIS' Abhishekappakkam P.O Puducherry - 605 007; Telephone: +91 92831 38415; Email: amaravatiagro@yahoo.com; Facsimile: Not available Website: Not available; Contact Person: Mr. R.V.M.K Prasad Corporate Identification Number: U24299PY1985PLC000310

THIS REMINDER PUBLIC ANNOUNCEMENT ("RPA") IS BEING ISSUED ON BEHALF OF THE PROMOTER AND PROMOTER GROUP MEMBERS OF AMARAVATI AGRO LIMITED ("AMARAVATI / THE COMPANY") BY MR. R.V.M.K.PRASAD, MRS. R.V.GRUHALAKSHMI ("HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "OFFERORS"). BEING THE PROMOTERS OF THE COMPANY TO PROVIDE EXIT OPTION TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED TO MEAN ALL THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY OTHER THAN THE PROMOTERS AND PROMOTER GROUP MEMBERS HEREINAFTER REFERRED TO AS "PUBLIC SHAREHOLDERS") OF AMARAVATI BY ACQUIRING UPTO 7.52.480 EQUITY SHARES ("OFFER SHARES") HAVING FACE VALUE RS. 10/- EACH AT RS. 13.37 (RUPEES THIRTEEN AND PAISE THIRTY SEVEN ONLY) ("EXIT PRICE") IN ACCORDANCE WITH THE SEBI CIRCULAR ("EXIT OFFER")

The dispatch of Offer Letter, along with Form of Acceptance ("Form"), in respect of the said Exit Offer to the Public Shareholder has been completed on May 12, 2021

Activity Schedule for Exit Offer

Date of Opening of Exit Offer Period Date of Closing of Exit Offer Period

MONDAY, MAY 17, 2021 FRIDAY, MAY 21, 2021

All the Public Shareholders who wish to tender their Offer Shares in the Exit Offer are requested to submit the duly filled in Form along with the necessary enclosures, to Integrated Registry Management Services Private Limited, Registrar and Share Transfe Agent ("RTA") latest by Friday, May 21, 2021 at the following address:

Address: 2nd Floor, Kences Towers, No.1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai – 600 017, Tamil Nadu India. **Telephone No:** 044-28140801/803; **Facsimile:** +044-28142479;

E-mail: yuvraj@integratedindia.in; Contact Person: Mr. Yuvaraj S

In case of any queries regarding the Exit Offer, the Shareholders can contact either the RTA at the abovementioned address or the Registered Office: 'LE BOIS' Abhishekappakkam P.O Puducherry - 605 007

Tel: +91 92831 38415: Facsimile: Not available: Email: amaravatiagro@yahoo.com;

Website: Not available: Contact Person: Mr. R.V.M.K Prasad Offerors on behalf of Promoter Group of the Company

R.V.M.K.PRASAD

R.V.GRUHALAKSHMI

Place: Puducherry

≝IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : 6वां तल, प्लाट — 15, सेक्टर—44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव, हरियाणा 122002

शाखा कार्यालय : शॉप नं. ६, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, सी.आर. माल, चर्च रोड, राम नगर कालोनी, आगरा 282002 मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

निम्न उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उन्होनें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पीरेशन लिमिटेड (ISFCL) से ऋण प्राप्त किया है लेकिन उनके द्वरा ऋण की ईएमआई (EMIs) का नियमित भूगतान नहीं किया गया है। और इस कारण नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत उनका ऋणखाता एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओं ने ISFCL के पास सिक्युरिटी के रूप में अचल संपत्ति रखी है। जिनका ब्यौरा और आज तारीख तक उधारकर्ता द्वारा ISFCL को चुकायी जाने वाली ऋण एवं बकाया राशि का ब्यौरा राशि का ब्यौरा भी नीचे दर्शाया गया है। उधारकर्ताओं और सामान्य जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ISFCL के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जमानती लेनदार ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत निम्न उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है। यदि निम्न उधारकर्ता उनके नामों के सामने दर्शाए गए बकाया देयों को भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर नहीं करते हैं, तो जमानती लेनदार को सरफेसी (SARFAESI Act) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संपत्ति को कब्जा / अधिकार में लेने और इसे बेचने की कार्यवाही करेंगें। सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णीत संपत्ति / संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

L		The transfer of the transfer o						
	क्र. सं.	` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)				
	1.	शकुंतला पत्नी तारा चंद, तारा चंद, केवल सिंह एवं संदीप कुमार निवासी : नई आबादी, जगनेर रोड, नरीपुरा आगरा–282001 उत्तर प्रदेश लोन खाता क्र. : LAP200007213	1. 30.03.2021 2. रु 4,99,473.32 / — (रूपये चार लाख निन्यावे हजार चार सौ तेहत्तर एवं बत्तीस पैसे मात्र) बकाया 31.03.2021 तक 01.04.2021 से ब्याज के साथ एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्चे एवं लागत	खसरा नं. 226, मौजा नरीपुरा, नई आबादी, बुद्ध विहार, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल				
	2.	गीता शर्मा एवं सतीश चंद शर्मा निवासी : 59 ए, देवकी एन्कलेव, पोइया, केनरा बैंक के पास, आगरा—282006 उत्तर प्रदेश लोन खाता क्र. : LAP200006034	1. 30.03.2021 2. रु 4,75,532.99 / — (रूपये चार लाख पिचहत्तर हजार पांच सौ बतीस एवं निन्यावे पैसे मात्र) बकाया 31.03.2021 तक 01.04.2021 से ब्याज के साथ एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्चे एवं लागत	प्लाट नं. 59ए, देवती एन्कलेव कालोनी, नागला आशा के पास, खसरा नं. 1998, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, मौजा— पोइया, तहसील — एतमादपुर, आगरा । पूर्व: प्लाट नं. 60, पश्चिम: प्लाट नं. 59, उत्तर: अन्य प्लाट दक्षिण: 20 फुट चौडा रास्ता				
	3.	किरन देवी एवं जीवन राम निवासी : 1536, सेक्टर 4आर, आवास विकास कालोनी, पानी की टंकी के पास, आगरा—282007 उत्तर प्रदेश लोन खाता क्र. : LAP200006619	1. 30.03.2021 2. रु 7,07,907.01 / — (रूपये सात लाख सात हजार नौ सौ सात एवं एक पैसे मात्र) बकाया 31.03.2021 तक 01.04.2021 से ब्याज के साथ एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्चे एवं लागत	सम्पत्ति मकान नं. 536, सेक्टर— 4आर, मापन एरिया 25.05 वर्ग मीटर पं. दीन दयाल उपाध्यायपुरम आवास विकास कालोनी, सिकंदरा, आगरा में स्थित। पूर्व: रास्ता				

हीरा देवी, विनोद कुमार एवं 1. 30.03.2021 राजीव कूमार, निवासीः नई आबादी, नईनाना जाट, राम किशन इंटर कॉलेज के पास, आगरा–282001 उत्तर प्रदेश लोन खाता क्र. : HL2000005345

निधि, राज कुमार एवं कुशल

हाउस के पास, आगरा-282002

लोन खाता क्र. : LAP200006760

नगर. लोहामंडी. गोपाल टैंट

उत्तर प्रदेश

स्थान : आगरा

दिनाक 19.05.2021

वर्मा निवासी : 17 / 133ए, राज

2. रु 6,11,321.99 / – (रूपये छः लाख ग्यारह हजार तीन सौ इक्कीस एवं निन्यानवे पैसे मात्र) बकाया 31.03.2021 तक 01.04.2021 से ब्याज के साथ एवं भुगतान की तिथि तक अन्य खर्चे एवं लागत 1 30 03 2021 2. रु 5,51,869.67 / — (रूपये पांच लाख

प्लाट एरिया 81 वर्ग गज पर बन मकान, खसरा नं. 171, मौज नाईनाना जाट, ग्वालियर रोर आगरा का भाग। पूर्व : श्री जगदीश का मकान, पश्चिम : रास्ता, उत्तर श्री गौधन सिंह की भूमि, दक्षिण श्री लंडरासेन का मकान नगर निगम म.नं. 17 / 133—ई

उत्तर : मकान नं. 1515

दक्षिण : मकान नं. 1537

राज नगर. लोहामंडी वार्ड तहसी इक्यावन हजार आठ सौ उनहत्तर एवं एवं डिस्ट्रिट आगरा। पूर्व सडसठ पैसे मात्र) बकाया 31.03.2021 रामेश्वर दयाल शर्मा की सम्पत्ति पश्चिम : कुंवर स्वरूप की सम्पत्ति तक 01.04.2021 से ब्याज के साथ एवं भूगतान की तिथि तक अन्य खर्चे एवं लागत उत्तर : रमने की सम्पत्ति, दक्षिण : फुट चौडी गली।

(प्राधिकत अधिकारी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पीरेशन लि

महाराष्ट्र में विस्फोटक बरामद

ठाणे, 18 मई (भाषा)। 12,000 छड़ों से भरे 63 बक्से और 3,008 विस्फोटकों से भरे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी कारिवली में जिलेटिन की चार बक्से बरामद किए गए।



KVB) Karur Vysya Bank मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, मेट्रो Smart way to bank पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

संदर्भः 1) मै. मिडास इन्फ्राटेक प्रा.लि., पंजी. कार्यालयः बी–3/76, विशाल खंड, गोमती नग लखनऊ-226010, 2) श्री मनीश शुक्ला, पुत्र श्री संतोष कुमार, 3/156, विराज खंड-3, गोमत नगर, लखनऊ-226010; 3) श्री राहुल चतुर्वेदी, पुत्र श्री संतोष कुमार, 603, छठा तल, ओलिव कन्ट्री, टावर ए-5, जीएच-09, सेक्टर-5, वसुन्धरा, गाजियाबाँद-201012 को भेजी गई मै मिडास इन्फ्राटेक प्राईवेट लि. की ऋण खाता में बकायी की वसली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तिये के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैर्स अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सचना।

जैसा कि आपने प्रतिभत क्रेडीटर बैंक को ऊपर वर्णित ऋण खाता में ऋणों के पनर्भगतान वूक की है (खाता 23.3.2021 को एनपीए बन चुकी है), बैंक ने 21.04.2021 को सरफैर्स अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 40,18,158.41 (रुपये चालिस लाख अठारा हजार एक सौ अन्ठावन तथा पैसे इकतालिस मात्र) की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिय था। सूचना की एक प्रति बी-3/76, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-10 में परिसर

जैसा कि आप सं. 1 को पंजीकृत डाक से भेजी गई सूचना अनसर्व्ड वापस लौट आई। एतद्द्वा आपको निर्देश दिया जाता है कि ऋण की देयताओं, बैंक के पास प्रभारित प्रतिभूतियों का सम्पूण वेवरण नोट करने के लिये अपने स्वयं के हित में बैंक में जाकर सूचना की प्रति प्राप्त करें। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 9.04.2021 से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित रूप में बैंक के पास हाइपोथेकेटेड/ गिरवी प्रतिभत परिसम्पत्तियों के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेत बाध्य होगा।

तिथि: 18.5.2021

प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण व्हाईट कलर मर्सडीज-बेंज जीएलएस 350 डी 4 मैटिक व्हीकल नं. UP14DH4200



प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 ई-मेल : investor_services@mahabank.co.in वेबसाइट : www.bankofmaharashtra.in शेयरधारकों के लिए सूचना

वीडियो कॉन्फरेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा 18 वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)

देशभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मौजूदा स्थिति और सामाजिक दूरी के अतिरिक्त आवागमन पर प्रतिबंध को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीएँ) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेंबी) ने अपने परिपत्रों के माध्यम रं कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए वीसी/ ओवीएएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है और शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट भेजने से संबंधित कुछ प्रावधानों में छूट दी है।

उक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक द्वारा बैठक की सूचना में निर्धारित विषयों पर विचार करने हेतु अपनी 18 वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन गुरुवार, दिनांक 24 जून, 2021 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फरेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों द्वारा किया जा रहा है, जिसे इसके बाद 'ई–एजीएम'' कहा जाएगा। बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक का स्थान माना जाएगा। रजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की सॉफ्ट प्रति उन सभी शेयरधारकों के भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

भौतिक शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन: बैंक के इक्रिटी शेयरों को भौतिक रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे भौतिक शेयरों से संबद्ध सभी जोखिमों को दर करने और अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने हेतु अपने शेयरों को डौमैटरियलाइज कर लें।

बैंक की एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ई–मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया:

भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक, (जिनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं) बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार अपने पंजीकृत नाम कोलियो नं., उनके पाँस धारित शेयर, ई–मेल आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति सहित मोबाइल नं. उपलब्ध कराते हुए helpdeskmum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com पर मेल भेजकर अपने ई–मेल आईडी को बैंक के आरटीए के साथ पंजीकृत करा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए: डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिनकी ई–मेल आईडी पंजीकत नहीं हैं. उनसे अनरोध है कि वे अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर को अपने डिपॉजिंटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करवाएं।

18 वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित विषयों पर अपना वीट दरस्थ रूप से डालने का अवसर होगा। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए तथा जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका शेयरधारकों को नोटिस में प्रदान किया जाएगा। उसका ब्योरा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपर्युक्त के अनुसार, बैंक शेयरधारकों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। प्रति बैंक ऑफ महाराष्ट्र

स्थान : पणे (चंद्रकांत भागवत) दिनांक : 18/05/2021 कंपनी सचिव

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(CIN: L31102DL1957PLC193993) **पंजीकृत कार्यालयः** ए–18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2 नई दिल्ली-110020, फोन नः 011-4161 0660

वेबसाईटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited शेयरधारकों को नोटिस

(निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए शेयरों का स्थानांतरण)

जीई टीएण्डडी इण्डिया लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरघारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पर्न अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा अन्तरण तथा वापसी) नियम, 2016 यथासंशोधित (इसके पश्चात "नियम" कहा जायेगा) के अनुसार जिन शेयरे के लाभांश प्रदान नहीं किये गये हैं अथवा सात (7) या इससे अधिक लगातार वर्षों से किसी भी शेयरधारक(कीं द्वारा दावा नहीं किया गया है उसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अन्तरित

अप्रदत्त / दावारहित लाभांशों को कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा / अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात इसे अधिनियम कहा जायेगा) के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अन्तरित किया गया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु अन्तिम प्रदत्त लाभांश के सन्दर्भ में ऐसे अन्तरणों की अगली नियत तिथि 28 अगस्त, 2021 होगी ।

ऐसे शेयरधारकों के पूर्ण विवरण जिनमें उनके नाम, फोलियो नंबर या डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी और . ष्थानांतरण के कारण शेयर(ऑ) की संख्या भी वेबसाइट https://www.ge.com/in/ge-td-india limited/unclaimed-dividend पर उपलब्ध हैं।

शेयरघारक(कों) से अनुरोध है कि वे अपने हिस्से के विवरणों को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी हैं जिन आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित किया जाना है।

ऐसे सभी शेयरघारक(कों) को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष और उसके बाद के अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए निम्नलिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अग्रेषित करने के लिए नोटिस दिया जाता है ताकि बाद में शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित न हों

आईडी प्रमाण (आपके पैन कार्ड की एक स्व—सत्यापित प्रति)

2. पता प्रमाण (आपके आधार कार्ड/पासपोर्ट/यूटिलीटी बिल की एक स्व-सत्यापित प्रति)- 3 महीने 3. वो बैंक जहां आप अपना बिना साईन और कैंसिल चैक सक्रिय कोर बैंकिंग खाता में बनाए रखा है ताकि हम

बाद के सभी लाभांश को सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकें। दस्तावेज रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड, युनिट– GE T&D India Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata-700019, Tel No. 033-40116700 / 22806692 / 22823643

2287 0263, Fax:033-40116739, Email: rta@cbmsl.com को जुलाई 31, 2021 तक भेजें। यह नोटिस ऐसे सभी शेयरघारकों को 13 मई, 2021 को उनके नवीनतम पते / ई-मेल आदि, जो भी लागू हो, पर पहले ही सूचित किया जा चुका है कि जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ को हस्तांतरित किये जा के लिये दायी हैं जनसे अनुरोद्य हैं की वह जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करे

COVID-19 के प्रसार के कारण इस दौरान, शेयरधारक उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां सीबी प्रबंधन सेव (प्रा) लिमिटेड के ई—मेल पर भेज सकते हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। पोस्टल सर्विस सामान्य होने के बाद हार्ड कॉपी भेजी जा सकती है।

यदि ऐसे शेयरधारकों से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कथित नियमों के सन्दर्भानुसार शेयरों क

अन्तरण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित करने के लिए बाध्य होगी। कागजी प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सम्बद्ध शेयरघारक तथा जिनके शेयर अन्तरित करने योग्य हैं वे घ्यान रखें कि कम्पनी नियम के अनुसार आईईपीएफ डीमैट खाते में अन्तरित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित नए शेयरों को निर्गत करेगी और ऐसे निर्गमन पर उनके नाम से पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे और निष्प्रयोज्य माने जायेंगे। शेयरधारक पुनः ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड विवरण कम्पनी द्वारा कागजी शेयरों के

आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित करने हेतु नए शेयर प्रमाणपत्र के निर्गमन के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त सूचना के रूप में माने जायेंगे। शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनरूप ऐसे अन्तरित शेयर(रों) तथा दावारहित लागांश एवं ऐसे शेयरों

से अर्जित कारपोरेट लामों का दावा, यदि कोई हो, पुनः आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं। नियमों के अनुसार दावारहित लामांश तथा आईईपीएफ में अन्तरित शैयर(रों) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा यदि शेयरधारकों को इस विषय-वस्तु और नियमों के बारे में कोई सवाल है तो वे कम्पनी के पंजीयकों और शेयर ट्रांसफर एजेंट, सी बी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पी–22, बोन्देल रोड, कोलकाता–700019 [फोन: (033) 2280-6692/93/94/4011-6700/42/24, फैक्स (033) 4011-6739; ई—मेल

rta@cbmsl.com] पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः मई 18, 2021

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए

मनोज प्रसाद सिंह

कंपनी सचिव

दमन संघ राज्य क्षेत्र-396 210 पहचान हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और आईडीबीआई बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता समिति के निर्णय वा

पत्र दिनांक 11 मर्ड 2021 की आपको दी गयी सचना वापस/अनडिलीवर्ड/अनसर्व्ड कर दी गयी है। 2. हैरी एच. शौरी/हरिन्दर शौरी, 850, क्रैगमॉन्ट एवेन्यु, बर्कले, सीए 94708-1304 वतन्त्र निदेशव

धन का डाइवर्जन : इस इकाई ने कर्जदार को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान को पूरा करने में चूव की है और कर्जदाता के लिए गये धन का उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जि लिए धन ग्रहण किया था बल्कि इसे अन्य उद्देश्यों में डाइवर्ट किया गया।

2.2.1 (ग) अनुषंगियों/समह कम्पनियों अथवा अन्य कॉर्पोरेट को किसी भी स्वरूप में धन का हस्तान्तरण

निधियों की साइफनिंग : इस इकाई ने कर्जदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान को पुरा करने

चुक की है और निधियों की साइफिनंग की है जिससे धन का उस उद्देश्य के लिए उपयोग नह

. केया गया जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन लिया गया था और न ही अन्य आस्तियों के रू इस इकाई के पास निधि उपलब्ध है। यदि बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कर्ज ली गयी निधियों का उपयोग कर्जदार के प्रचालनों से असम्ब

उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया गया हो जिससे संस्था या कर्जदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा हो तो उपर्युक्त सन्दर्भित निधियों का आशय साइफनिंग होना चाहिए।

पर्युक्त व्यक्ति, यदि वे चाहें, तो इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर लिखित में अपने प्रतिनिधान इस आइ के साथ प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में भा.रि.बैंक के समक्ष घोषित एवं सूचित किया जाये

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) केंद्रीय सरकार के समक्ष, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र कंपनियों के अधिनियम , 2013 की धारा 13 के उपखंड (4) के नियम और (30) के नियम (5) कंपनियों के नियम ३० (प्रोत्साहन) नियम, २०१४ के मामले में और

कॅरिअर पॉइंट लिमिटेड (कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपी टॉवर १, रोडु नं.१, आईपीआईए, कोटा (राज.) 324005

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी पोस्टल बैलट (केवल दूरस्थ ई-वोटिंग) के माध्यम से कंपनी के सदस्यों द्वारा 05 अप्रैल, 2021 से पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को राजस्थान राज्य' से 'पंजाब राज्य' में बदल सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर वितरित कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का आधार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आरओसी भवन में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, विपुल पार्क सोसायटी, अंकूर बस स्टॉप, नारनपुरा के पीछे, अहमदाबाद —380013 पर पंजीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को एक काँपी के साथ उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे दिए गए पते पर भी भेजे कॅरिअर पॉइंट लिमिटेंड, सीपी टॉवर 1, रोड नं 1, आईपीआईए, कोटा (राज.) इंडिया। 324005

> कॅरिअर पॉइंट लिमिटेड़ निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कॅरिअर पॉइंट लिमिटेड़ तरूण कुमार जैन

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

DhanlaxmiBank

दिनांकः मई 18, 2021

स्थानः कोटा (राज.)

जिखास, एसओ, दिल्ली- 110016

अंचल कार्यालयः नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्यालयः थ्रिसूर तिथिः 04.05.202 पंजीकृत ए/डी के साथ

. मै. हर्विन हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. (पूर्व में मै. 4. श्री नरिन्दर अजमानी (गारंटर) प्रोसिएटेड ट्रेडर्स, हर्विन इम्पेक्स प्रा. लि. की एक सी-3/20, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, हौजखास, एसअ कार्ड के रूप में विदित ऋणधारक पता: 2/27 दिल्ली- 110016

ज्युएचएफ, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 श्री हर्ष अजमानी (गारंटर) श्री देविन्दर अजमानी (गारंटर) सी-3/20, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, हौजखास, एसअं सी-3/20, सफदरजंग डेवलपमेन्ट हौजखास, एसओ, दिल्ली- 110016 देल्ली- 110016 श्री मोहिन्दर अजमानी (गारंटर) . श्रीमती विनीता अजमानी (गारंटर) ती−3/20, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया, हौजखास, एसॐ

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

की धारा 13 (2) के अंतर्गत सचना . हम धनलक्ष्मी बैंक लि., एक विधिवत पंजीकृत व्यावसायिक बैंक, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय श्रिसुर, केरल राज्य में, अंचल कार्यालय, 2रा तल, नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग नई दिल्ली-110005 में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय भ तल. अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यह

देल्ली- 110016

के बाद "अधिनियम" वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपके लिये यह सुचन जारी करता है। . हमारी कनॉट प्लेस शाखा ने आवश्यक ऋण दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा प्रतिभृति अनुबंधों पर मै. हर्बिन हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. (पूर्व में मै. एसोसिएटेड ट्रेडर्स, हर्विन इम्पेक्स प्रा. लि. की एक इकाई के रूप में विदित) ऋणधारक एवं श्री हर्ष अजमानी, श्रीमती विनीता अजमानी, श्री निरन्द अजमानी. श्री देविन्दर अजमानी. श्री मोहिन्दर अजमानी (गारन्टरों) की खाता में आपको निम्न वित्तीय

सहायता/ साख सविधाएं जारी की थी (रुपये में) की तिथि (30.04.2021 को) दर (%)

₹. 35000000.00 24.08.2020 ₹. 42271298.00 13.45% आप ने हमारी बैंक के पक्ष में निम्न परिसम्पत्तियों के संदर्भ में प्रतिभति हित का निर्माण किय

क) हाइपोथेकेशन/ चार्ज/ एसाइन्मेन्ट/ राइट/ टाईटल. अथवा हायर पर दी गई प्रत्य१ परिसम्पत्तियों पर इन्टरेस्ट अथवा वित्तीय पट्टा/ अर्तपूर्ण बिक्री अथवा अधिकार, टाईटल अथवा प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों पर इन्टरेस्ट अथवा एसाइन्मेन्ट/ लाइसैन्स जिसका विशेष रूप से विवरण यहाँ नीचे अनुसूची 'क' में दिया गया है। a) यहां नीचे अनुसूची 'ख' में वर्णित अथवा सम्पत्ति के टाइटल डीड्रस जमा कर माटगेज अथव

पंजीकत मार्टगैज (क अनसचित सम्पत्ति तथा ख अनुसचित सम्पत्ति यहां के बाद सामृहिक रूप से ''प्रतिभूत परिसम्पत्ति'' के रूप में वर्णित।) आप ने स्वीकृति की शर्तों, ऋण अनुबंधों तथा प्रतिभृति दस्तावेजों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रतिभूत वित्तीय सहायता के भुगतान की अनदेखी तथा उसमें चूक की है। तदनुसार

30.11.2020 को अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप में आपकी उक्त खाता/ ओं को बैंक ने गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। आप अन्य लागत एवं खर्चे के साथ 01.05.2021 से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 13.45% प्रति वर की दर से आगे के ब्याज लागतों एवं खर्चे के साथ रु. 4,22,71,298.00/- (रुपये चार करोड़ बाईर

लाख इकहत्तर हजार दो सौ अन्टानवे मात्र) की राशि का भगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। बार-बार मांग किये जाने के बावजूद आप ने ऋण/ वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 2 (जेंडडी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक "प्रतिभृत क्रेडीटर" है तथा आपके

यह सुचना जारी करने के लिये अधिकृत है। अतएव हम आपसे मांग करते हैं कि इस सचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर 01 05 202 से 13.45% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज तथा दंड ब्याज, अन्य चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ रु. 4,22,71,298.00/- (रुपये चार करोड़ बाईस लाख इकहत्तर हजार दो सौ अन्ठानवे मात्र) तथा अन्य

दण्ड ब्याज चार्जेज, खर्चे, लागत एवं की राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक अपने अधिकारों तथा उपचारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेगा। एतदहारा आपको सचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (13) के अनसार बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बैंक के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसार

इस सचना की प्राप्ति के बाद नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 29 के अनसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियग के प्रावधानों की अवजा अथवा उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण देयताओं का भुगतान नर्ह करने तथा अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत बैंक द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने की स्थिति मे आप इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों. चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भगतान करने

के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री राशि से बैंक की सम्पूर्ण बकाया देयता पूरी नहीं होती है तो बैंक आपकी चल तथा अचल दोनों परिसम्पत्तियों से व्यक्तिगत, संयुक्त तथा पृथक रू से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।

0. अधिनियम की धारा 13 (8) में निर्दिष्ट रूप में बिक्री/ नीलामी सचना प्रकाशन की तिथि से पर्व किसी भी समय बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ, सम्पर्ण बकाये का भगतान कर आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। यह सूचना कानून के किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह[ँ]जो भी उपयुक्त तथा आवश्यक समझे ऐसी कार्रवाईँ अथवा कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनसची क

प्रतिभत चल परिसम्पत्तियों का विवरण

हाइपोथेकेटेड बुक डेब्ट्स एवं स्टॉक्स (एमडीएफ बोर्ड्स) रु. 4.00 करोड़ की राशि के अचल सम्पत्तियों का विवरण

विवरण ब्लॉक-II, डब्ल्यूएचएस, कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के निकट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110012, मा

गभग 400 वर्ग यार्ड्स अथवा 334.45 वर्ग मी. में स्थित प्लॉर्ट नं. 27 पर निर्मित श्री हर्ष अजमानी तर श्रीमती विनीता अजमानी के नाम में व्यावसायिक सम्पत्ति। **चौहरी**: उत्तरः प्लॉट नं. 2/26 (निर्माण टेडर्स) दक्षिणः प्लॉट नं. 2/27-1 (रिचा एक्स्पोर्ट्स), पूर्वः रोड (स्लम एरिया), पश्चिमः 20 फीट चौड़ा सर्विः

प्राधिकत अधिकार्र धनलक्ष्मी बैंक लि

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 04.05.2021